दिल्ली सरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु–मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली: 110002
☎23490260, 23724560, 23311293 फैक्स 23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

संख्याःइ–इन–सी / पी / 48(2) / 2019 |3855 दिनांक 2 08.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः Payment to be made to contractual/Outsourced workers in different departments/organization under GNCTD – non furnishing of information 0.regartding disbursement of wages.

प्रायः यह देखा गया है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुबंध आधार पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है तथा इनके वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र इस कार्यालय में देरी से अथवा अधूरा भेजा जाता हैं। दिल्ली सरकार के केबिनेट निर्णय सं. 2323 दिनांक 22.03.2019 के अनुसार विभाग में अनुबंध आधार पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान 7 तारीख तक किया जाना हैं तथा इस आशय का प्रमाण पत्र 15 तारीख तक भिजवाया जाना हैं। कर्मियों के वेतन भुगतान में विलंब को सचिव–कम–श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा गम्भीरता से लिया गया हैं तथा इस संबंध में कार्यालय को पत्र सं. एफ.194 / अति. एलसी / वेजिज / मई / 2019 / 1705 दिनांक 25.06.2019 भी लिखा गया हैं। प्रमुख अभियंता महोदय द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया हैं ।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि अनुबंध आधार पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान निर्धारित समय पर कराया जाना सुनिश्चित करें । कर्मचारियों के वेतन भुगतान में यदि निविदा के समाप्त होने, निविदा आमंत्रण में देरी, ठेकेदार के बिलों के भुगतान में विलम्ब, ठेकेदार की तरफ से देरी अथवा अन्य कारणों के फलस्वरूप अनुबंध आधार पर रखे गये कर्मियों का वेतन उनकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुये संबंधित डी. डी. ओ. सीधे कर्मियों को समय पर भुगतान करना स्वीकृत करें ।

यह आदेश प्रमुख अभियंता महोदय की स्वीकृति से जारी किया जाता हैं ।

31.7.19
उप–निदेशक (स्थापना)

सेवा में
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सभी प्रधान मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालय ।